न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 134/2017

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
कालुराम पुत्र शिवजी जाति देवासी निवासी बगुडा की ढाणि, नेवो की खेजडी, तहसील मारवाड जंक्शन		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री इन्द्रसिंह दय्या उप0

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20.11.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 449/2016 में तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपील संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नीवो की खेजडी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 969 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त दर्शाते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23.11.2016 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया तथा नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होना बताया है, जबकि मोके पर अपीलाण्ट का कब्जा ही नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया एवं अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारवास से दण्डित किया, जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु किसी प्रकार का रेकर्ड पत्रावली पर नही है। पटवारी हल्का द्वारा द्वेषतावश प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी बिना किसी जांच किये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण निस्तारित करते हुए बेदखली एवं सजा का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरण में जिस स्थापित नियम कायदों की पालना करनी होती है, उनको नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को किसी भी रूप में परीक्षित नही किया है तथा बिना किसी साक्ष्य सबूत के अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है, जबकि वर्तमान में मौके पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण भी नही है, अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। इन तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मातहत अदालत द्वारा नजर अन्दाज कर जैर अपील आदेश पारित किये है। जिस भूमि पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपीलाण्ट का अतिक्रमण माना है, उस भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है तथा भूमि मौके पर खाली पडी है। इस कारण जैर अपील पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की पालना में सिविल जेल में निरूद्ध किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0बी0जे0 (8) 2001 पेज 475, आर0बी0जे0 (11) 2010 पेज 57, आर0बी0जे0 (7) 2000 पेज 25 तथा आर0बी0जे0 (9) 2002 पेज 509 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नीवो की खेजडी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 969 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नीवो की खेजडी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 969 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर तारबन्दी करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती कब्जा होना तथा पूर्व में बेदखल किया जाना जाहिर किया। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। अब जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण नही होना जाहिर किया है, इस तथ्य की ताईद पटवारी हल्का बासनी जोजावर द्वारा तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.07.2017 से होती है, जिसमें उन्होने यह अंकित किया कि ग्राम नीवो की खेजडी तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नम्बर 974 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 नाला की भूमि से अतिक्रमी कालूराम पुत्र शिवजी देवासी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा चुका है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। लिहाजा अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश के जरिये दी गई सजा को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपील संख्या 28/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2017 एवं तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 449/16 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली